न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त,अजमेर

(निर्णय बईजलास श्री के.के.शर्मा, आई0ए0एस0 अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, अजमेर)

अपील संख्या :–90/2009/भीलवाड़ा (2009/00016)

1. श्रीमती कंकूदेवी पत्नि रोशनलाल टांक, निवासी करेड़ा, तह0 माण्डल जिला भीलवाड़ा ।
2. श्रीमती कैलाशी देवी पत्नि शांतिलाल टांक, निवासी करेड़ा, तहसील माण्डल, जिला भीलवाड़ा ।

अपीलांट्स

बनाम

1. मनोहरलाल पुत्र कन्हैयालाल,
2. चन्द्रप्रकाश पुत्र कन्हैयालाल,
3. श्रीमती बदामबाई बेवा कन्हैयालाल,
   समस्त जाति दर्जी, निवासी करेड़ा, तह0 माण्डल जिला भीलवाड़ा ।
4. श्रीमती शांति देवी पत्नि सत्यनारायण पुत्र सोहनलाल टेलर, नि0 गुलाबपुरा, तह0 हुरड़ा, जिला भीलवाड़ा ।
5. मिट्ठूलाल पुत्र छोगालाल दर्जी, निवासी करेड़ा, तहसील माण्डल , जिला भीलवाड़ा ।
6. राजस्थान सरकार जरिये अतिरिक्त तहसीलदार, करेड़ा, जिला भीलवाड़ा ।
7.

रेस्पोडेंट्स

अपील अंतर्गत धारा 76 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम–1956 विरूद्ध निर्णय विद्वान अतिरिक्त जिला कलक्टर, भीलवाड़ा दिनांक 15.6.2009 अंतर्गत प्रकरण संख्या 29/2009.

उपस्थितः–

1. श्री मदनलाल गुर्जर, वकील अपीलांट्स ।
2. रेस्पो0 अनुपस्थित ।

निर्णय

दिनांक :– 23.4.2018

अपीलांट ने यह अपील विद्वान अतिरिक्त जिला कलक्टर, भीलवाड़ा (संक्षेप में अधीनस्थ न्यायालय) द्धारा पारित निर्णय दिनांक 15.6.2009 (संक्षेप में अपीलाधीन निर्णय) से अप्रसन्न होकर राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 76 के अन्तर्गत इस न्यायालय में प्रस्तुत की हैं। xx

1- प्रकरण में संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि रेस्पो0 संख्या 1 लगायत 3 ने अधी0न्याया0 में अतिरिक्त तहसीलदार, करेड़ा द्वारा संस्थित नामांतकरण

संख्या 4066 दिनांक 11.11.2004 के विरूद्ध प्रथम अपील प्रस्तुत कर निवेदन किया कि विवादग्रस्त आराजी खसरा नंबर 1889, 5486 से 5496 व खसरा नंबर 8027/5484 कुल किता 13 कुल रकबा 13 बीघा 7 बिस्वा ग्राम करेड़ा, तह0 माण्डल में अवस्थित है जो राजस्व रिकार्ड में प्रत्यर्थी संख्या 3 व 4 एवं प्रार्थीगण संख्या 1 लगायत 3 के नाम पर अंकित थी, जिसमें प्रार्थीगण का 1/3 हिस्सा, प्रत्यर्थी संख्या 4 व उनकी माता चांद बाई के साथ 1/3 हिस्सा तथा प्रत्यर्थी संख्या 3 का 1/3 हिस्सा रिकार्ड दर्ज था । चांद बाई का निधन हो चुका है जिसके वारिस प्रत्यर्थी संख्या 4 है । प्रत्यर्थी संख्या 3 द्वारा उक्त आराजी में से 1/4 हिस्सा प्रत्यर्थी संख्या 1 व 2 को जरिये पंजीकृत विक्रय पत्र के दिनांक 8.11. 2004 को बेचान कर दिया गया, जिसके आधार पर प्रत्यर्थी संख्या 1 व 2 के पक्ष में विवादित नामांतकरण संख्या 4066 दिनांक 11.11.2004 को स्वीकार किया है जो खिलाफ कानून होकर निरस्त योग्य है क्योंकि विवादित आराजियात के संबंध में प्रार्थीगण के पक्ष में तथा प्रत्यर्थी संख्या 3, 4 व 5 के खिलाफ अस्थाई निषेधाज्ञा प्रकरण संख्या 132/2002 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, माण्डल के द्वारा पारित की हुई थी । अतः नामांतकरण संख्या 4066 दिनांक 11.11.2004 अपास्त किया जावे। विद्वान अतिरिक्त जिला कलक्टर, भीलवाड़ा ने अपने निर्णय दिनांक 15.6. 2009 को पारित कर प्रार्थीगण/रेस्पो0 संख्या 1 लगायत 3 की अपील स्वीकार कर नामांतकरण संख्या 4066 को अपास्त कर प्रकरण तहसीलदार, करेड़ा को प्रतिप्रेषित करने के आदेश पारित किये । अधी0न्याया0 के इस निर्णय से अप्रसन्न होकर अपीलांट्स ने यह द्वितीय अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की है ।

2- अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पो0 को नोटिस जारी किये गये। रेस्पोडेंट्स बावजूद सूचना के अनुपस्थि । अधी0न्यायालय का रिकार्ड प्राप्त होने के उपरांत प्रकरण में विद्वान अभिभाषक अपीलांट्स की एकपक्षीय बहस सुनी गई । xx

3- अपीलान्ट के विद्वान अभिभाषक ने दौराने बहस अपील मीमों में उल्लेखित तथ्यों की ताईद करते हुए कथन किया कि विद्वान अतिरिक्त जिला कलक्टर, भीलवाड़ा ने अपीलांट्स के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही करते हुए रेस्पो0 संख्या 1 से 3 की अपील स्वीकार की है जबकि अपीलांट्स को अधी0न्याया0 के नोटिस तामील नहीं हुए थे और न ही सुनवाई का अवसर प्राप्त हुआ है । विद्वान वकील अपीलांट्स ने बहस को आगे बढ़ाते हुए कथन किया कि रेस्पो0 संख्या 4 के पिता सोहन लाल पुत्र तोताराम का विवादित भूमि में 1/3 हिस्सा राजस्व रिकार्ड में दर्ज था जिसमें से सोहनलाल ने अपने 3/4 हिस्से का ही बैचान किया है तथा शेष हिस्सा रेस्पो0 संख्या 4 के हिस्से में दर्ज है । इस प्रकार सोहन लाल द्वारा अपने हिस्से से ज्यादा भूमि का बेचान नहीं किया गया है । रेस्पो0 संख्या 1 से 3 का विवादित आराजियात में 1/3 हिस्सा दर्ज है जिसमें किसी प्रकार का फैरबदल नहीं हुआ है । अधी0न्याया0 ने बिना किसी जांच के अपीलाधीन निर्णय पारित किया है जो विधिविरूद्ध होने से अपास्त योग्य है । विद्वान

वकील अपीलांट्स ने बहस को आगे बढ़ाते हुए कथन किया कि अतिरिक्त तहसीलदार, करेड़ा को नामांतकरण संस्थित करने का अधिकार था क्योंकि विवादित भूमि जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र द्वारा बेचान की गई है, ग्राम पंचायत को केवल विरासत के आधार पर ही नामांतकरण संस्थित करने का अधिकार है परन्तु इसके बावजूद अधी0न्याया0 ने विवादित नामांतकरण ग्राम पंचायत को खोलने का क्षैत्राधिकार मानते हुए नामांतकरण संख्या 4066 को अपास्त करने में विधिक त्रुटि कारित की है । विद्वान वकील अपीलांट्स ने बहस में आगे कथन किया कि अधी0न्याया0 के समक्ष दौराने अपील रेस्पो0 संख्या 4 के पिता सोहनलाल का स्वर्गवास हो चुका था इसके बावजूद अधी0न्याया0 ने मृतक के वारिसान को रिकार्ड पर लिये बिना मृतक के विरूद्ध अपीलाधीन आदेश पारित किया है जो प्रारंभ से अवैध एवं शून्य है । अधी0न्याया0 को नामांतकरण को अपास्त करने के बजाय राजस्व वाद के विचाराधीन रहते ज्यादा–से–ज्यादा नामांतकरण की कार्यवाही स्थगित करने के आदेश पारित करने चाहिये थे किन्तु अधी0न्याया0 ने ऐसा न कर त्रुटि कारित की है । अतिरिक्त तहसीलदार ने रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के आधार पर नामांतकरण स्वीकृत किया है तथा उक्त रजिस्टर्ड विक्रय पत्र सही है अथवा गलत इसकी वैधता का परीक्षण करने का क्षैत्राधिकार अधी0न्याया0 को नहीं था तथा ना ही रेस्पो0 ने उक्त विक्रय पत्र की वैधता बाबत् सक्षम न्यायालय में चाराजोही की है । अधी0न्याया0 ने इन सभी तथ्यों को नजरअंदाज कर अपीलाधीन आदेश पारित करने में त्रुटि कारित की है । अतः अपील अपीलांट्स स्वीकार कर अधी0न्याया0 का निर्णय दिनांक 15.6.2009 अपास्त किया जावे एवं नामांतकरण संख्या 4066 दिनांक 11.11.2004 यथावत् रखा जावे । xx

4- हमने पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात एवं आधार अभिलखों, अधी0न्याया0 के निर्णय का अवलोकन किया तथा अभिभाषक अपीलांट की बहस पर मनन किया । अधी0न्याया0 ने रेस्पो0 संख्या 1 लगायत 3 की अपील स्वीकार कर नामांतकरण संख्या 4066 दिनांक 11.11.2004 इस आधार पर अपास्त किया है कि तथाकथित नामांतकरण अति0 तहसीलदार, करेड़ा द्वारा बिना क्षैत्राधिकार निर्णित किया गया है । इसके विपरीत अपीलांट्स का कथन है कि रेस्पो0 संख्या 3 व 4 द्वारा विवादित भूमि का जरिये पंजीकृत विक्रय पत्र बेचान किये जाने से नामांतकरण स्वीकृत करने का क्षैत्राधिकार अति0 तहसीलदार को था । इस संबंध में हम अधी0न्याया0 के इस निष्कर्ष से सहमत है कि तथाकथित नामांतकरण ग्राम पंचायत के क्षैत्राधिकार में था किन्तु इसके बावजूद तथाकथित नामांतकरण अति0 कलक्टर, करेड़ा द्वारा निर्णित किया गया है जो विधिविरूद्ध है क्योंकि ग्राम पंचायत के समक्ष नामांतकरण हेतु आवेदन करने पर ग्राम पंचायत द्वारा 30 दिवस की अवधि में नामांतकरण तस्दीक नहीं करने अथवा नामांतकरण विवादित होने की स्थिति में ही अति0 तहसीलदार के समक्ष नामांतकरण हेतु आवेदन किया जा सकता था । अपीलांट्स ने ऐसा कोई दस्तावेजी साक्ष्य पेश नहीं किया जिससे यह सिद्ध हो कि अपीलांट्स द्वारा ग्राम पंचायत के समक्ष नामांतकरण हेतु आवेदन किया गया था किन्तु ग्राम

पंचायत द्वारा निर्धारित अवधि में नामांतकरण की कार्यवाही नहीं करने से अति0 तहसीलदार के समक्ष नामांतकरण हेतु पुनः आवेदन किया गया है । अधी0न्याया0 ने प्रस्तुत प्रकरण ग्राम पंचायत स्तर पर निर्णय करने हेतु प्रकरण को अति0 तहसीलदार, करेड़ा को प्रतिप्रेषित किया है जिसमें हमें कोई विधिक एवं तथ्यात्मक त्रुटि प्रतीत नहीं होती है । उपरोक्त विवेचन के क्रम में अपील अपीलांट अपास्त योग्य तथा अधी0न्याया0 का निर्णय दिनांक 15.6.2009 यथावत् रखे जाने योग्य पाया जाता है ।

–:क्रियात्मक आदेशः–

अतः उपरोक्त विवेचन अनुसार अपील संख्या 90/2009 (2009/00016) बउनवानी श्रीमती कंकुदेवी बनाम मनोहरलाल को अपास्त किया जाता है तथा विद्वान अति0 जिला कलक्टर, भीलवाड़ा द्वारा अपील संख्या 29/2009 बउनवान मनोहर लाल बनाम कंकुदेवी में पारित निर्णय दिनांक 15.6. 2009 को यथावत् रखा जाता है । पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो ।

(के.के.शर्मा)
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त,
अजमेर

आदेश आज दिनांक 23.4.2018 को मेरे द्धारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(के.के.शर्मा)
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त,
अजमेर